न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—अपील संख्या 81/2015(जीसीएमएस नं. 2015/00074)

1. हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री छोटू, जाति माली, निवासी नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड़, नाथ की थडी, देवा बाबा की ढाणी जयपुर।
2. भंवरसिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह, जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 8, भीमनगर, निवारू रोड़ झोटवड़ा, जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. लड्डूराम पुत्र स्व. श्री सुंसीलाल, जाति माली निवासी निवासी नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड़, नाथ की थडी, देवा बाबा की ढाणी जयपुर।
2. मन्नीराम पुत्र स्व. श्री सुंसीलाल निवासी नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड़, नाथ की थडी, देवा बाबा की ढाणी जयपुर।
3. फुलीदेवी पुत्री स्व. श्री सुंसीलाल पत्नी बद्रीनारायण, जाति माली निवासी दादी का फाटक ढाणी ढण्डोरिया जयपुर।
4. गोपाली पुत्री स्व. श्री सुंसीलाल,**(फौत)**
   - 4/1. हनुमान सहाय पुत्र श्री हरिनारायण, जाति माली निवासी मुरलीपुरा ढाणी ढण्डोरिया बैनाड़ रोड़ जयपुर।
   - 4/2. चन्दालाल पुत्र श्री हरिनारायण, जाति माली हरिनारायण, जाति माली निवासी मुरलीपुरा ढाणी ढण्डोरिया बैनाड़ रोड़ जयपुर।
   - 4/3. श्रवणलाल पुत्र श्री हरिनारायण, जाति माली हरिनारायण, जाति माली निवासी मुरलीपुरा ढाणी ढण्डोरिया बैनाड़ रोड़ जयपुर।
   - 4/4. पप्पूदेवी पत्नी श्री कजोड़दास, जाति माली निवासी बालाजी कांटे के पास हरमाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर।
   - 4/5. बबली देवी पत्नी स्व. फूलचन्द, जाति माली निवासी ग्राम मोठूकाबास बान्डीनदी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   - 4/6. मोहनीदेवी पत्नी श्री राजू, जाति माली निवासी मोठूकाबास, बाण्डीनदी तहसील आमेर जिला जयपुर।
   - 4/7. गायत्री देवी पत्नी लालचन्द, जाति माली निवासी माचड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. लल्ली पुत्री स्व. श्री सुंसीलाल, पत्नी श्री घासीराम, जाति माली निवासी नई कोठी बाईपास ग्राम नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।
6. बबली पुत्री स्व. सुंसीलाल पत्नी श्री दुर्गालाल, जाति माली निवासी नींदड़ बागड़ा वाली ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. कैलाश पुत्र स्व. श्री सुंसीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।
8. कल्ली देवी पुत्री स्व. सुंसीलाल**(फौत)**
   - 8/1. नेमीचन्द पुत्र स्व. लालाराम माता स्व. कल्लीदेवी जाति माली निवासी नांगल जैसा बोहरा ढाणी नई कोठी दादी का फाटक जयपुर।
   - 8/2. बिरदीचन्द पुत्र स्व. लालाराम माता स्व. कल्लीदेवी जाति माली निवासी नांगल जैसा बोहरा ढाणी नई कोठी दादी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का फाटक, जयपुर।

8/3. नन्दकिशोर पुत्र स्व. लालाराम माता स्व. कल्लीदेवी जाति माली निवासी नांगल जैसा बोहरा ढाणी नई कोठी दादी का फाटक जयपुर।

8/4. लक्ष्मादेवी पुत्री स्व. लालाराम माता स्व. कल्लीदेवी पत्नी सरवण**(फौत)**

8/4/1. सरवान पति स्व. कल्लीदेवी जाति माली निवासी आमलोदा की ढाणी नीलगिरि कॉलानी रोड़ नम्बर 9 के सामने सीकर रोड़, जयपुर।

8/4/2. बनवारी लाल पुत्र सरवण, जाति माली निवासी आमलोदा की ढाणी नीलगिरि कॉलानी रोड़ नम्बर 9 के सामने सीकर रोड़, जयपुर।

8/4/3. विमला देवी पुत्री सरवण पत्नी गणेश, जाति माली निवासी ग्राम माचड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर।

8/5. प्रेमदेवी पुत्री स्व. लालाराम, माता कल्ली देवी पत्नी प्रेमचन्द, जाति माली निवासी आमलोदा की ढाणी नीलगिरि कॉलानी रोड़ नम्बर 9 के सामने सीकर रोड़, जयपुर।

8/6. गोमती देवी पुत्री स्व. कल्लीदेवी पत्नी गजानन्द जाति माली निवासी आमलोदा की ढाणी नीलगिरि कॉलानी रोड़ नम्बर 9 के सामने सीकर रोड़, जयपुर।

8/7. नन्छीदेवी पुत्र स्व. कल्लीदेवी पत्नी नाथूराम, जाति माली निवासी टीबा की ढाणी, गोविन्दनगर के सामने निवारू तहसील व जिला जयपुर।

8/8. बिदया देवी पुत्री स्व. कल्लीदेवी पत्नी बाबूलाल, जाति माली निवासी बिंदायक विहार निवारू, तहसील व जिला जयपुर।

9. तहसीलदार तहसील जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री भगवान सहाय शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हरिनारायण शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.10.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 714 पारित दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील संख्या 50/2010 लड्डूराम वगैरह बनाम हनुमान सहाय व अन्य पेश की जिसे जिला कलक्टर जयपुर ने स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर 313 के मौके एवं रिकार्ड बाबत वस्तस्थिति की जांच की जावें तथा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावें तत्पश्चात् भी तथ्यों के आधार पर ही कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 714 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2010 के आदेश को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑबजरवेशन अनुसार कार्यवाही कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर ने प्रकरण के धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की कतई कोई पालना न कर संक्षिप्त में ही प्रकरण को अनिर्णित छोड़ दिया एवं यह आदेश पारित किया कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय पश्चात् प्रकरण रिओपन कर कार्यवाही की जावेगी तब तक के लिये पत्रावली ड्रोप की जाती है। उक्त आदेश अनुचित एवं अवैध व पूर्णतः विधि विधान व पत्रावली एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार ने प्रकरण के विवादित मुद्दो को वास्तविक एवं सही अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध तथा परवर्स निर्णय जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा तहसीलदार जयपुर के समक्ष अपनी लिखित बहस में यह कहीं पर भी अंकित नही किया गया कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय पश्चात् रिओपन की जावेगी तब तक के लिये पत्रावली ड्रोप की जाती है ऐसा कोई कथन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने लिखित बहस में अंकित नही किया उसके पश्चात् भी तहसीलदार जयपुर ने निर्णय जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है तहसीलदार के समक्ष लम्बित प्रकरण में तहसीलदार जयपुर को लैण्ड रिकार्ड नामान्तरकरण के संदर्भ में बाद जॉच मौका रिकार्ड के अपना निर्णय पारित करना था, लैण्ड रिकार्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही था एवं ना है, सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 10 के समक्ष जो वाद विचाराधीन होना बताया है वह मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है एवं तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में तहसीलदार को विक्रय पत्र के आधार एवं साक्ष्य, सबूतों के आधार पर अपना निर्णय गुणावगुण पर पारित करना चाहिये था क्योंकि विधि का यह सुस्थापित मत है कि स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में किसी भी प्रकार के कोई हक अधिकारों का निर्धारण या घोषणा नही होती है बल्कि घोषणा तो घोषणात्मक वाद के माध्यम से ही हो सकती है, सिविल न्यायालय में किसी प्रकार को कोई घोषणात्मक वाद लम्बित नही है और ना ही ऐसा कोई घोषणात्मक वाद की प्रति रेस्पोडेन्ट 1 व 2 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण या अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार जयपुर के समख कभी भी किसी प्रकार की कोई लिखित व मौखिक सहमति प्रकरण को ड्रोप किये जाने बाबत नही दी बल्कि इस बाबत तो अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी जिस पर भी तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया और निर्णय जैर अपील स्क्रेची, अनरिजेण्ड, नोनस्पीकिंग एवं भावनाओं व परिकल्पनाओं पर आधारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2015 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 714 यथावत कायम रखा जाकर उस पर निरस्तीकरण के नोट को हटाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिला कलक्टर जयपुर के यहाँ एक अपील तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 714 दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध उनवानी लड्डूगोपाल बनाम हनुमान सहाय व अन्य प्रस्तुत की जिसे न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के यहाँ प्रकरण को धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज कर जिला कलक्टर जयपुर के निर्देशानुसार प्रकरण की सुनवाई प्रारम्भ कर दी गई, पक्षकारान की तलबी की गई, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अपीलान्ट संख्या 1 व अपने–अपने अभिभाषक के जरिये उपस्थित हुवे, अपीलान्ट का कह कहना कतई गलत है कि तहसीलदार ने जिला कलक्टर के द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 13.06.2011 की पालना नही की जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र तहसीलदार यहाँ प्रस्तुत होने पर तहसीलदार जयपुर ने विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को निर्देश जारी किये जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 09.07.2012 को मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार जयपुर के यहाँ प्रस्तुत कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है इसी दौरान दोनों पक्षकारान के द्वारा दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये, रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश भी प्रस्तुत किया गया और स्थगन आदेश होने एवं विवादित भूमि के बाबत प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण तहसीलदार जयपुर ने पत्रावली की आर्डरशीट में दिनांक 18.02.2015 को यह कहकर पत्रावली को ड्रापे कर दी कि प्रकरण माननीय सिविल न्यायायल के निर्णय पश्चात् रिओपन कर निर्णित की जावेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम निर्णय ही नही किया गया है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण की अपील ही मेन्टेनेबल नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर ने जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 13.06.2011 की पूरी–पुरी पालना करते हुये ही पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट भौतिक सत्यापन हेतु

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मंगवाई जो पटवारी हल्का ने दिनांक 09.07.2012 को प्रस्तुत कर दी जिसमें पटवारी हल्का ने दर्शाया की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगभग 40–50 वर्षो पूर्व मकान बनाकर रहवास करता आ रहा है, वादग्रस्त आराजी में फलदार पेड़ लगे हुये है, बोरिंग लगा हुआ है, सीमेन्ट की टंकी बनाई गई है जो रेस्पोडेन्ट लड्डूगोपाल की है, एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है लेकिन सिविल न्यायालय में जो वाद विक्रय निरस्तीकरण का पेश हुआ है वह वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सिर्फ ड्रोप किया है एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण निस्तारण के पश्चात् पुनः रिओपन करके निर्णित किये जाने बाबत जो आदेश पारित किया गया है वह कानूनी रूप से सही है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर तमाम दलीलें के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील प्रारम्भिक अवस्था में ही खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण का निर्णय अभी किया ही नही गया है, प्रकरण मात्र ड्रोप किये गया जो सिविल न्यायालय के निस्तारण के पश्चात् पुनः रिओपन कर जिला कलक्टर जयपुर के निर्देशानुसार निर्णित किया जावेंगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 13.06.2011 की पालना में प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज कर कार्यवाही की जा रही थी किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य अपर सिविल न्यायालय(क.ख.) पश्चिम महानगर जयपुर का स्थगन होने से प्रकरण सिविल न्यायालय के निर्णय पश्चात् रिओपन करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 पारित किये गये है जिससे जाहिर हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नही किया गया है जिससे अपीलार्थीगण के वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार के हक हकूक प्रभावित नही होते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।